परियोजना प्रबंधन एवम समन्वय इकाई

PROJECT MANAGEMENT & CO-ORDINATION UNIT

भारत-म्यांमार : कृषि अनुसंधान एवम शिक्षा हेतु अग्रवर्ती केंद्र

Indo-Myanmar : Advanced Centre for Agricultural Research & Education

Hkk.d.vu.i.– Hkkjrh; df"k vu l/kku lLFkku] ub fnYyh

ICAR – Indian Agricultural Research Institute, New Delhi

Applications/Nominations is invited for the position of Resident Advisor, ACARE based at Yezin Agricultural University (YAU) Campus, NayPyiTaw, Myanmar.

Applications/Nominations are invited for the post of Resident Advisor, Advanced Center for Agricultural Research & Education (ACARE), who shall be based full time at Myanmar

2. Advanced Center for Agricultural Research & Education (ACARE) is a State-of-art Institution being setup under the bilateral Memorandum of Understanding (MOU) between Government of India (GOI) & Government of the Union of Myanmar (GUM) to develop, adopt and disseminate suitable technologies for enhancement of agricultural production, productivity, postharvest loss reduction, value addition, human resource development and employment generation through agrarian skill development for sustainable food, nutritional and livelihood security of Myanmar. The Resident Advisor is supposed to act implement the objectives and activities approved under the project in collaboration with the handling team in India and the implementing team at YAU/ACARE.

3. Requirements for the post are as follows:

   (i) **Qualification** :

   (a) Retired or Serving Scientists/Technologists/Academicians with Ph.D. degree in any of the fields of Agricultural Sciences.

   (b) Should have at least 25 years of experience.

4. Terms and conditions of appointment are as follows:

   (i) **Nature of engagement** : The initial appointment shall be for a period of one year which shall be extendable further by the appointing authority upon successful and satisfactory completion of the previous year of appointment. The nature of engagement is purely non-regular time-bound and contractual and in no case will exceed the approved duration of the project/scheme. Notwithstanding the duration of the project/scheme, engagement can be discontinued owing to administrative reasons at any time by issue of one month’s notice or one month’s emoluments in lieu thereof. The appointee may also leave the assignment, on his own volition, by giving one month’s notice. At no point during the period of appointment or at the end of it, the appointee will have any right to claim any regular employment or engagement in the Institute/Council.

   (ii) **Controlling Officer** : Director, ICAR-IARI shall be the Reporting/Controlling Officer of the appointee.

   (iii) **Pay** : The appointee shall be entitled to a consolidated pay of US $ 5,000 per month. The disbursement of the pay shall be made by ICAR-IARI directly to the bank account of the appointee at Myanmar.

The appointee shall however be entitled to draw an amount equal to one month pay at the time of his proceeding to the place of posting at Myanmar as an advance. In the event of drawal of advance by the appointee, the transfer incidentals like taxi/conveyance charges for self and family from residence to airport will not be admissible.

(iv) **Allowances and benefits** : The appointee is neither entitled to nor can claim any allowance/benefits other than for the consolidated salary which is admissible to other regular employees of the Institute/Council.

(v) **Accommodation at Myanmar** : University of Yezin shall provide for a suitable accommodation to the appointee if available. The appointee will have to pay for the same to the university if the university so desires to from his pay. All other charges like electricity, water, telephone, internet charges if any incurred at the residence shall be borne by the appointee himself/herself.

(vi) **Passage** : The appointee shall be entitled for return airfare to hometown in India by air in economy class (by Air India to the maximum extent possible) once every year along with spouse. The appointee shall however, give an undertaking that his spouse would not take up any gainful employment during his/her stay at Myanmar as a dependent of the appointee. The said certificate will have to be provided for every completed year of appointment and at the end of the appointment for the remaining period.

(vii) **TA/DA on tour** : If the exigencies of the work demands, the appointee may be deputed/undertake tour within Myanmar or to India only after obtaining the approval of the reporting officer/reviewing officer. During the tour, the appointee will travel by the official vehicle or in Economy Class of Air India as far as possible.

(viii) **Leave** : The appointee shall only be allowed to avail Casual Leave (CL), Restricted Holidays (RH) as per the prevailing rules of the Institute/Council. Additionally, the appointee shall be entitled to 15 days of half pay leave in India. The controlling officer shall be leave sanctioning authority for the appointee.

(ix) **Income tax** : The appointee will be liable to pay income tax as per the prevailing norms of the Government of India. DDO of the Project Management & Co-ordination Unit (PM&CU), Indo-Myanmar : Advanced Center for Agricultural Research (IM-ACARE) shall deduct the same at source.

(x) **Mode of expenditure of approved budget** : The appointee shall be solely liable to make expenditure under different heads like operational costs of consumables, contingencies for fuel for farm machinery/ACARE vehicle, miscellaneous contingencies, etc. following all codal formalities and procedures defined in the General Financial Rules (GFR) of the Government of India and complying to all relevant CVC guidelines as applicable at the relevant time. Deviation required if any for meeting the operational requirements of ACARE shall only be made with the prior approval of the competent authority of DARE/MEA.

(xi) **Other conditions** :

(a) The appointee shall not be allowed to undertake any other work or to accept or hold another appointment with or without remuneration elsewhere concurrently with this appointment

(b) The appointee is required to adhere to the administrative, financial and disciplinary regulations of Institute/Council prevalent at the time.
(c) The appointee shall settle their claims if any as early as possible and in no case after the final settlement of the accounts of the scheme.

(xii) **Amendment/Revision of the terms and conditions** : The Institute/Council reserves the right to modify, add, delete and/or amend/change the above terms and conditions with the approval of the competent authority without any prior notice to the appointee.

(xiii) **Interpretation** : If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Department of Agricultural Research & Education, Ministry of Agriculture & Farmer's Welfare whose decision thereon shall be final.

5. The Search-cum-Selection Committee is free to identify and recommend/select any other person, based on merit, irrespective of whether he/she has applied/been nominated or not for the same.

6. Application/nomination forms may be downloaded from www.icar.org.in, www.mea.gov.in and www.iari.res.in

7. Aspirants fulfilling the above mentioned requirements and agreeing to all the terms and conditions of appointment may forward the CV particulars by registered/speed post or e-mail (as an attachment in word or pdf format) to the Project Leader, ACARE, Room No. 10 & 11, NRL Building, ICAR-IARI, Pusa Campus, New Delhi – 110 012 (e-mail : pmcu.acare@gmail.com).

8. Applications/nominations shall be received up to 5.00 PM on 30.03.2019. ICAR-IARI shall not be responsible for any delay in the receipt of the application.

Note : In case of any discrepancy the English Advertisement shall prevail.

APPLICATION / NOMINATION FORM
FOR THE POST OF
RESIDENT ADVISOR,
ADVANCE CENTER FOR AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION (ACARE)

I. General Information

1. Name of Applicant :
(Full name to be mentioned in Capital Letters)
2. Father's Name :
3. Sex : Male ☐ Female ☐
4. Date of Birth (DD/MM/YYYY Format) :
5. Age as on the closing date of application :
6. Present position held (if in service)/last position held (if already superannuated) :
7. a. Present Address :

Phone/Fax :
Mobile :
Email :

b. Permanent Address :

II. Qualification :

III. Details of Experience :

IV. Specific Attainments & Achievements :

V. Awards & Honours :

VI. Publications/Products/Technologies/ Patents :

VII. Justification of the Applicant's Suitability to the Post :

VIII. Any other relevant information :

Date :
Place :

(Signature of Applicant)

In case a candidate is nominated Signature with date along with Details of the Nominator may be mentioned. The Nominator has to mandatorily submit a CV of the Nominee/Applicant

परियोजना प्रबंधन एवम समन्वय इकाई

PROJECT MANAGEMENT & CO-ORDINATION UNIT

भारत-म्यांमार : कृषि अनुसंधान एवम शिक्षा हेतु अग्रवर्ती केंद्र

Indo-Myanmar : Advanced Centre for Agricultural Research & Education

Hkk.d`.vu.i.– Hkkjrh; d`f"k vuqla/kku laLFkku] ubZ fnYyh

ICAR – Indian Agricultural Research Institute, New Delhi

;ftu d`f"k fo'ofo|ky; ¼okbZ-,-;w-½, ufirk] E;kekj ifjlj esa jftMsaV ,Mokbtj ¼,-lh-,-vkj-bZ-½ ds fy, vkosnu i=@ukekadu i= vkef=r fd, tkrs gSaA

रेजिडेंट एडवाइजर, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा हेतु अग्रवर्ती केन्द्र (ए.सी.ए.आर.ई.) के लिए आवेदन पत्र/नामांकन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं जो कि पूर्ण समय के लिए म्यांमार में ही रहेंगे।

2. कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा हेतु अग्रवर्ती केन्द्र (ए.सी.ए.आर.ई.) एक अत्याधुनिक संस्थान है जो भारत सरकार (जी.ओ.आई.) एवं म्यांमार सरकार (जी.यू.एम.) के बीच द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) के तहत स्थापित किया जा रहा है। समझौते का उद्देश्य कृषि की उपयुक्त तकनीकों को विकसित कर कृषि का स्थायी उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने, फसलोत्तर क्षति में कमी, मूल्यवर्धन एवं मानव संसाधन विकास और रोजगार सृजन के लिए उपयुक्त तकनीकों को विकसित करने, अपनाने और प्रसार करके म्यांमार की पोषण और आजीविका सुरक्षा हेतु काम करना है। रेजिडेंट एडवाइजर को भारत में स्थित परियोजना प्रबंधन एवं समन्वय इकाई और वाई.ए.यू./ए.सी.ए.आर.ई में कार्यान्वयन समिति के साथ परियोजन के अन्तर्गत अनुमोदित उद्देश्यों और गतिविधियों को लागू करने के लिए नियुक्त किया जाएगा।

3. नियुक्ति के लिए आवश्यकताएं नियमानुसार हैं

   (i) ;kX;rk,¡

   (a) सेवानिवृत या कार्यरत वैज्ञानिक/प्रौद्योगिकीविद/शिक्षाविद जो कृषि विज्ञान के किसी भी क्षेत्र में पी.एच.डी. हों।

   (b) संबंधित क्षेत्र में कम से कम 25 वर्ष का अनुभव हो।

4. नियुक्ति के लिए नियम व शर्तें इस प्रकार हैं:

   (i) in dh izd`fr : प्रारंभिक नियुक्ति केवल एक वर्ष के लिए ही होगी जो कि नियुक्ति के दौरान एक वर्ष सफलतापूर्वक एवं संतोषजनक कार्य पूर्ण करने पर नियुक्तिकर्ता द्वारा बढ़ाई जा सकती है। पद की प्रकृति पूर्ण रूप से अस्थायी, समय प्रतिबंधित और ठेकेदारी में निहित है और परियोजना/स्कीम द्वारा स्वीकृत एवं निश्चित समय अंतराल से अधिक किसी भी परिस्थिति में बढ़ाई नहीं जाएगी और प्रशासनिक कारणों द्वारा परियोजना/स्कीम के समय अंतराल के दौरान एक महीने के नोटिस या एक महीने के वेतन के बदले में किसी भी समय नियुक्ति रद्द की जा सकती है। पद पर आसीन अधिकारी किसी भी समय अपनी स्वयं की इच्छा से एक महीने का नोटिस देकर भी पद को छोड़ सकता है। नियुक्ति के लिए निश्चित समय अंतराल में या समय अंतराल के अंत में नियुक्त अधिकारी का संस्थान/परिषद् में किसी भी स्थायी पद पर नियुक्ति हासिल करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

(ii) fu;=.k vf/kdkjh : नियुक्त अधिकारी का रिर्पोटिंग/नियंत्रण अधिकारी निदेशक, भा.कृ.अनु.प.– भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली होंगे।

(iii) osru : नियुक्त अधिकारी कुल मिलाकर यू.एस. डालर 5000/– मासिक का हकदार होगा। वेतन राशि की अदायगी म्यांमार में ही उसके बैंक खाते में भा.कृ.अनु.प.– भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा दी जाएगी।

नियुक्त अधिकारी, म्यांमार में प्रभार ग्रहण करने हेतु एक महीने के वेतन के बराबर अग्रिम राशि प्राप्त करने का हकदार होगा। अग्रिम राशि लेने के पश्चात नियुक्त अधिकारी और उनके परिवार को निवास स्थल से हवाई अड्डे तक आने–जाने का किराया नहीं दिया जाएगा।

(iv) HkRrs ,oa ykHk : नियुक्त अधिकारी न तो हकदार है और न ही समेकित वेतन के अलावा किसी अन्य भत्ते/लाभ का दावा कर सकता है जो कि संस्थान/परिषद् के स्थायी कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य है।

(v) E;kekj esa vkokl lqfo/kk : म्यामांर के येजिन विश्वविद्यालय में आवास यदि उपलब्ध होगा तभी नियुक्त अधिकारी को उपयुक्त आवास प्रदान किया जाएगा। यदि विश्वविद्यालय चाहे तो नियक्ति अधिकारी को विश्वविद्यालय में प्राप्त आवास के लिए भुगतान करना होगा। अन्य सभी शुल्क जैसे बिजली, पानी, टेलिफोन, इंटरनेट शुल्क आदि नियुक्त अधिकारी को स्वयं ही वहन करना होगा।

(vi) ;k=k dk vf/kdkj : नियुक्त अधिकारी स्वयं एवं पत्नी सहित वर्ष में एक बार अपने मूल निवास, भारत में आने–जाने का सामान्य हवाई किराया (अधिकतम संभव सीमा के अंतर्गत, एयर इंडिया द्वारा) पाने का हकदार होगा परंतु नियुक्त अधिकारी को स्वयं के म्यांमार में रहने के दौरान स्वयं पत्र देना होगा। यह प्रमाण पत्र प्राप्त पद पर नियुक्त होने के पश्चात प्रति वर्ष एवं नियुक्ति की समयावधि के अंत मे भी देना होगा।

(vii) nkSjs ij Vh-,-@Mh-,- : यदि आवश्यकता हो तो कार्य की आवश्यकता के अनुसार नियुक्त अधिकारी को रिर्पोट्रिग अधिकारी/समीक्षा अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही म्यांमार या भारत में दौरे के लिए प्रतिनियुक्त किया जा सकता है। दौरे के दौरान नियुक्त अधिकारी को जहां तक संभव हो सरकारी वाहन या एयर इंडिया की सामान्य श्रेणी से ही यात्रा करनी होगी।

(viii) NqV~Vh : नियुक्त अधिकारी को संस्थान/परिषद् के नियमानुसार ही आकस्मिक अवकाश (CL), प्रतिबंधित छुट्टियॉ (RH) लेने का अधिकार होगा। इसके अतिरिक्त, नियुक्त अधिकारी भारत में 15 दिनों के आधे वेतन अवकाश का हकदार होगा। नियंत्रण अधिकारी को पद पर नियुक्त अधिकारी की छुट्टियॉ स्वीकृत करने का अधिकार होगा।

(ix) vk;dj : नियुक्त अधिकारी भारत सरकार के मौजूदा मानदंडों के अनुसार आयकर भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। योजना प्रबंधन एवं समन्वय इकाई, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा हेतु अग्रवर्ती केन्द्र (IM-ACARE) के डी.डी.ओ., श्रोत पर ही कटौती करेंगे।

(x) vuqekfnr ctV dk 0;; dk rjhdk : नियुक्त अधिकारी विभिन्न प्रमुखों के तहत व्यय जैसे कि कृषि मशीनरी/ACARE वाहन, विविध आकस्मिकताओं आदि के लिए इंधन की आकस्मिक लागतों की परिचालन लागत, सभी सांकेतिक औपचारिकताओं और प्रक्रियाओं को परिभाषित करने के बाद भारत सरकार के सामान्य वित्तिय नियम (GFR) और सी.वी.सी. के प्रासंगिक समय पर लागु निर्देशों का अनुपालन पर ही करने के लिए उत्तरदायी होगा। यदि ACARE

की परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी व्यतिक्रम की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए केवल DARE/MEA के सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी।

(xi) vU; 'krsZ :

(a) नियुक्त अधिकारी को पद पर आसीन होने के पश्चात कोई और पद स्वीकार करना अथवा किसी और पद पर आसीन होना या अन्य किसी प्रकार का कार्य करना, चाहे पारिश्रमिक सहित हो या पारिश्रमिक के बिना हो, स्वीकार करने की अनुमति नहीं है।

(b) नियुक्त अधिकारी को पद पर आसीन होने के पश्चात एवं पूर्ण कार्यकाल के दौरान संस्थान/परिषद के प्रशासनिक, वित्तीय और अनुशासन संबंधी नियमों का पालन करना आवश्यक है।

(c) नियुक्त अधिकारी को अपने किसी भी दावे का जितनी जल्दी संभव हो निपटान करना होगा क्योंकि नियुक्ति योजना के खातों के अंतिम निपटान के बाद किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकार के दावे का निपटान नहीं होगा।

(xii) fu;ekas ,oa 'krksZa esa la'kks/ku@la/kkj : संस्थान/परिषद के पास नियुक्त अधिकारी को किसी भी पूर्व सूचना के बिना सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के साथ उपरोक्त नियम एवं शर्तों में संशोधन हेतु नियम हटाने या जोड़ने एवं नियमों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है।

(xiii) LiLVhdj.k : यदि नियमों की व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न हो तो इसे कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को भेजा जाएगा जिसका निर्णय अंतिम होगा।

5. सर्च कम सलेक्शन कमेटी किसी भी अन्य व्यक्ति की योग्यता के आधार पर पहचान करने और उसकी सिफारिश करने/ चयन करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। चाहे उसने आवेदन किया है या नहीं और चाहे वह नामांकित है या नहीं।

6. आवेदन/नामांकन फार्म www.icar.org.in, www.mea.gov.in और www.iari.res.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

7. उपरोक्त वर्णित आवश्यकताओं को पूरा करना और नियुक्ति की सभी शर्तों से सहमत होकर सी.वी. विवरणों को डाक/ई–मेल (संलग्नक के रूप में) से प्रोजेक्ट लीडर ए.सी.ए.आर.ई., कमरा नं. 10 और 11, एन.आर.एल. बिल्डिंग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा कैम्पस, नई दिल्ली – 110012 को अग्रेसित किया जा सकता है। (Email: pmcu.acare@gmail.com)

8. आवेदन/नामांकन पत्र दिनांक 30.03.2019 को 5.00 बजे सायं तक भेज सकते हैं।